लोहिया ग्रामीण आवास योजना

प्रदेश के ग्रामीण अनुसूचित जाति /जनजाति तथा सामान्य वर्ग के परिवार (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) जो गरीब हैं और बी0पी0एल0 सर्वे 2002 की सूची में उनका नाम सूचीबद्ध न होने के कारण वे इन्दिरा आवास योजना के अधीन आवासीय सुविधा से भी वंचित हैं।

ऐसे परिवारों की आवासीय बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति के दृष्टिगत वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए लोहिया ग्रामीण आवास योजना के नाम से योजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय वर्ष 2012—13 में वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया।

उद्देश्य :—

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण अनुसूचित जाति /जनजाति तथा सामान्य वर्ग के परिवार (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) के ऐसे ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाना है, जो आवासविहीन हैं व जिनकी वार्षिक आय रु0 36000/— से कम है तथा 2002 में तैयार की गई बी0पी0एल0 सूची में उनका नाम न होने के कारण वे इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पात्रता श्रेणी में नहीं आते हैं।

योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु :—

- लोहिया ग्रामीण आवास योजना शत—प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है। आवासों का आबंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम किया जाता है।
- आवास के साथ शौचालय निर्माण हेतु अनिवार्य रुप से जिला स्तर पर पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित ''स्वच्छ भारत मिशन'' (ग्रामीण) से कराया जाता है।
- इस योजना के अधीन निर्मित होने वाले प्रत्येक आवास के लिए वर्ष 2012—13 एवं 2013—14 में रु0 1.50 लाख एवं वर्ष 2014—15 तथा 2015—16 में रु0 2.75 लाख के अनुदान के अतिरिक्त सोलर लाइट लगाये जाने की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। जिसमें 03 एल0ई0डी0 लाइट्स, एक डीसी फैन तथा मोबाइल चार्ज हेतु एक पॉइन्ट कुल 05 पॉइन्ट की व्यवस्था है।
- इस योजना के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु न्यूनतम आच्छादन क्षेत्रफल 30 वर्ग मी0 रहेगा। इस हेतु विकास खण्ड स्तर पर तकनीकी कर्मी द्वारा प्रत्येक लाभार्थी की भूमि पर ले—आउट बनाया जाता है। घर के आन्तरिक ले—आउट तथा कमरे के आकार आदि में लाभार्थी की इच्छानुसार परिवर्तन अनुमन्य है। परन्तु 02 कमरे अवश्य निर्मित कराये जाने आवश्यक है।
- इस योजना के अन्तर्गत आवासों का आबंटन अनिवार्य रुप से प्रथमतया ''डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना'' के अधीन चयनित समग्र ग्रामों में किया जाता है।
- वर्ष 2015—16 में अद्यतन शासनादेश सचिव, ग्राम्य विकास के पत्र संख्या 30 दिनॉक 14—09—2015 के अनुसार प्रत्येक लोहिया ग्राम में 25 लोहिया आवास तथा जिलाधिकारी के निवर्तन पर जनपद में लोहिया ग्रामों के आबंटित कुल लोहिया आवासों का 10 प्रतिशत अतिरिक्त रुप से जिलाधिकारी के निवर्तन पर गैर लोहिया समग्र ग्रामों में भी रखा जाएगा। इस प्रकार जनपद अलीगढ़ में कुल समग्र ग्राम 29 ग 25 त्र 725 का 10 प्रतिशत 72 जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जाएगा। जिलाधिकारी के निस्तारण पर रखे लोहिया आवासों का आबंटन लोहिया समग्र ग्राम तथा गैर लोहिया समग्र ग्रामों में भी शासनादेश के अनुरुप किया जाएगा।

पात्रता :—

- योजनान्तर्गत सैन्य कार्यवाही के दौरान मारे गये रक्षा सैनिक /अद्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की विधवायें /परिवार। इन पर आवासविहीन होने पर आय सम्बन्धी सीमा लागू नहीं होगी।
- अनसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के ऐसे परिवार जिनकी मुखिया विधवायें अथवा एकल अविवाहित महिला हों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
- शारीरिक एवं मानसिक रुप से विकलांग व्यक्ति।

- भूकम्प, बाढ़ अथवा नदी के कटान, चक्रबात, आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं तथा मनुष्य द्वारा उत्पन्न आपदाओं जैसे दंगा पीड़ित या भूमि अर्जन के फलस्वरुप आवास विहीन हुए परिवार।
- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य श्रेणी के अन्य आवासहीन परिवार।

<u>**जनपद में योजना की प्रगति :–**</u>

जनपद में वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 तक 1917 लाभार्थियों को लोहिया ग्रामीण आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

जनपद में वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत 246 आवासों का लक्ष्य शासन से प्राप्त हुआ था। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अधीन चयनित 24 समग्र ग्रामों में 246 लोहिया आवासों का आबंटन किया गया था। प्रगति निम्नवत् हैः–

कुल चयनित समग्र ग्राम	कुल भौतिक लक्ष्य आवासों की संख्या	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	कुल भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण आवासों की संख्या	कुल वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष व्यय धनराशि (लाख रु0 में)	स्थापित सोलर लाइटों की संख्या
24	246	319.80	246	319.80	246

जनपद में वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत 281 आवासों का लक्ष्य शासन से प्राप्त हुआ था। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अधीन चयनित 29 समग्र ग्रामों में 281 लोहिया आवासों का आबंटन किया गया था। प्रगति निम्नवत् हैः–

कुल चयनित समग्र ग्राम	कुल भौतिक लक्ष्य आवासों की संख्या	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	कुल भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण आवासों की संख्या	कुल वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष व्यय धनराशि (लाख रु0 में)	स्थापित सोलर लाइटों की संख्या
29	281	365.30	281	365.30	255

जनपद में वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 593 आवासों का लक्ष्य शासन से प्राप्त हुआ था। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अधीन चयनित वर्ष 2014–15 में चयनित 29 समग्र ग्रामों में 414 लोहिया आवास एवं वर्ष 2012–13 में चयनित 24 ग्रामों में 48 लोहिया आवास एवं वर्ष 2013–14 में चयनित 29 ग्रामों में 131 लोहिया आवास का आबंटन किया गया है। प्रगति निम्नवत् हैः–

कुल चयनित समग्र ग्राम	कुल भौतिक लक्ष्य आवासों की संख्या	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	कुल भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण आवासों की संख्या	कुल वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष व्यय धनराशि (लाख रु0 में)	स्थापित सोलर लाइटों की संख्या
29	593	1630.75	593	1630.75	–

जनपद में वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 797 आवासों का लक्ष्य शासन से प्राप्त हुआ था। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अधीन चयनित वर्ष 2015–16 में चयनित 29 समग्र ग्रामों में 409 लोहिया आवास एवं राज्यपोषण मिशन के अन्तर्गत चयनित ग्रामों एवं जनेश्वर मिश्र ग्रामों में 388 लोहिया आवास का आबंटन किया गया है। प्रगति निम्नवत् हैः–

कुल भौतिक लक्ष्य आवासों की संख्या	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	शासन से प्राप्त प्रथम किश्त की धनराशि (लाख रु0 में)	कुल भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष प्रथम किश्त अवमुक्त आवासों की संख्या	कुल वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष व्यय धनराशि (लाख रु0 में)	स्थापित सोलर लाइटों की संख्या
797	2191.75	1095.875	797	1095.875	–